

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 (पार्ट) : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-1/2019/16, दिनांक 30.01.2019 को अतिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	1. हितग्राहियों के पंजीयन 2. असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
		3. सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक	श्रमायुक्त/ नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
		4. ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक	श्रमायुक्त/ नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
		5. असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	30 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक	श्रमायुक्त/ नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(Signature)
(पी0डी0पुरबिया)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

पृष्ठा0 क्र0 एफ 11-2/2011/16(पार्ट)

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.....3

3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लाक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर, जिला - (छ0ग0)।
6. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
7. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय (छ0ग0)।
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला- (छ0ग0)।
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल।



12/7/19
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

Add. LC/DLC (S)/DLC (J)/ALC (T)/ALC (P)
Dir. ESI/DD/AD () /LO/Other

Labour Commissioner

26 JUL 2019